



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277110
CG-DL-E-13102026-277110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5386]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5386]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5600(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि "ओडिशा राज्य में वार्षिक योजना 2021-22 के अंतर्गत ईपीसी मोड पर एनएच-201 (वर्तमान एनएच-26) के कि.मी. 176.00 पर केसिंगा स्थित एल.सी. संख्या आरबी-172 के स्थान पर भूमि अधिग्रहण सहित एप्रोच मार्गों के साथ 4-लेन आरओबी का निर्माण" के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, केसिंगा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम

होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

"ओडिशा राज्य में वार्षिक योजना 2021-22 के अंतर्गत ईपीसी मोड पर एनएच-201 (वर्तमान एनएच-26) के कि.मी. 176.00 पर केसिंगा स्थित एल.सी. संख्या आरबी-172 के स्थान पर भूमि अधिग्रहण सहित एप्रोच मार्गों के साथ 4-लेन आरओबी का निर्माण" के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कलाहांडी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: केसिंगा					
गांव का नाम: बगड़					
1	100	निजी	एग्रीकल्चर	0.164 (एकर)	0.0663699
2	100/2164	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.063 (एकर)	0.0254958
3	100/2860	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
4	100/2907	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
5	101	निजी	एग्रीकल्चर	0.042 (एकर)	0.0169972
6	101/2914	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
7	101/2915	निजी	एग्रीकल्चर	0.015 (एकर)	0.0060704
8	101/3223	निजी	एग्रीकल्चर	0.013 (एकर)	0.005261
9	101/3242	निजी	एग्रीकल्चर	0.012 (एकर)	0.0048563
10	102	निजी	एग्रीकल्चर	0.172 (एकर)	0.0696075
11	102/929	निजी	एग्रीकल्चर	0.08 (एकर)	0.0323756
12	108/1161	निजी	एग्रीकल्चर	0.035 (एकर)	0.0141643
13	111	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.004 (एकर)	0.0016188
14	112	निजी	एग्रीकल्चर	0.042 (एकर)	0.0169972
15	113	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.98 (एकर)	0.801295
16	114	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
17	114/1189	निजी	एग्रीकल्चर	0.019 (एकर)	0.0076892
18	115	निजी	एग्रीकल्चर	0.034 (एकर)	0.0137596
19	118	निजी	एग्रीकल्चर	0.002 (एकर)	0.0008094
20	118/1102	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.052 (एकर)	0.0210441

21	118/1102/2072	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.011 (एकर)	0.0044516
22	118/2987	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.008 (एकर)	0.0032376
23	119/1064	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.135 (एकर)	0.0546338
24	119/1108	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.03 (एकर)	0.0121408
25	119/1162	निजी	कमर्शियल	0.02 (एकर)	0.0080939
26	119/2218	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (एकर)	0.0040469
27	119/2799	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
28	119/2800	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
29	122	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.16 (एकर)	0.0647511
30	123	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
31	123/2620	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
32	123/2621	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
33	123/3225	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
34	123/3245	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
35	124	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.003 (एकर)	0.0012141
36	252	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.347 (एकर)	0.140429
37	253	निजी	एग्रीकल्चर	0.004 (एकर)	0.0016188
38	253/2624	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (एकर)	0.0161878
39	253/3055	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.012 (एकर)	0.0048563
40	253/3228	निजी	कमर्शियल	0.04 (एकर)	0.0161878
41	256	निजी	एग्रीकल्चर	0.052 (एकर)	0.0210441
42	91	निजी	एग्रीकल्चर	0.09 (एकर)	0.0364225
43	93/1175	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (एकर)	0.0040469
44	93/2249	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.07 (एकर)	0.0283286
45	93/2250	निजी	एग्रीकल्चर	0.073 (एकर)	0.0295427
46	93/2257	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.151 (एकर)	0.0611089
47	94	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.377 (एकर)	0.1525698
48	95	निजी	कमर्शियल	0.2 (एकर)	0.0809389
49	95/1140	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.04 (एकर)	0.0161878
50	95/1141	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.04 (एकर)	0.0161878
51	95/1160	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
52	95/2793	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (एकर)	0.0161878

53	95/2794	निजी	एग्रीकल्चर	0.075 (एकर)	0.0303521
कुल योग					1.9838127

[फा. सं. RW/NH-12014/Odisha (2)LA/14-S&R(B)pt-III/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O. 5600 (E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for "Construction of 4 lane ROB with approaches in lieu of LC No. RV-172 at km 176.00 of NH-201 (present NH-26) at Kesinga including land acquisition in the State of Odisha on EPC mode under Annual Plan 2021-22" in the district of KALAHANDI in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar Kesinga in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land required for "Construction of 4 lane ROB with approaches in lieu of LC No. RV-172 at km 176.00 of NH-201 (present NH-26) at Kesinga including land acquisition on EPC mode under Annual Plan 2021-22" in the district of KALAHANDI in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: KALAHANDI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kesinga					
Village: Bagad					
1	100	Private	Agriculture	0.164 (Acre)	0.0663699
2	100/2164	Private	Non Agriculture	0.063 (Acre)	0.0254958
3	100/2860	Private	Non Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
4	100/2907	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
5	101	Private	Agriculture	0.042 (Acre)	0.0169972
6	101/2914	Private	Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
7	101/2915	Private	Agriculture	0.015 (Acre)	0.0060704

8	101/3223	Private	Agriculture	0.013 (Acre)	0.005261
9	101/3242	Private	Agriculture	0.012 (Acre)	0.0048563
10	102	Private	Agriculture	0.172 (Acre)	0.0696075
11	102/929	Private	Agriculture	0.08 (Acre)	0.0323756
12	108/1161	Private	Agriculture	0.035 (Acre)	0.0141643
13	111	Private	Non Agriculture	0.004 (Acre)	0.0016188
14	112	Private	Agriculture	0.042 (Acre)	0.0169972
15	113	Government	Non Agriculture	1.98 (Acre)	0.801295
16	114	Private	Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
17	114/1189	Private	Agriculture	0.019 (Acre)	0.0076892
18	115	Private	Agriculture	0.034 (Acre)	0.0137596
19	118	Private	Agriculture	0.002 (Acre)	0.0008094
20	118/1102	Private	Non Agriculture	0.052 (Acre)	0.0210441
21	118/1102/2072	Private	Non Agriculture	0.011 (Acre)	0.0044516
22	118/2987	Private	Non Agriculture	0.008 (Acre)	0.0032376
23	119/1064	Private	Non Agriculture	0.135 (Acre)	0.0546338
24	119/1108	Private	Non Agriculture	0.03 (Acre)	0.0121408
25	119/1162	Private	Commercial	0.02 (Acre)	0.0080939
26	119/2218	Private	Non Agriculture	0.01 (Acre)	0.0040469
27	119/2799	Private	Non Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
28	119/2800	Private	Non Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
29	122	Private	Non Agriculture	0.16 (Acre)	0.0647511
30	123	Private	Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
31	123/2620	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
32	123/2621	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
33	123/3225	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
34	123/3245	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
35	124	Private	Non Agriculture	0.003 (Acre)	0.0012141
36	252	Government	Non Agriculture	0.347 (Acre)	0.140429
37	253	Private	Agriculture	0.004 (Acre)	0.0016188
38	253/2624	Private	Agriculture	0.04 (Acre)	0.0161878
39	253/3055	Private	Non Agriculture	0.012 (Acre)	0.0048563
40	253/3228	Private	Commercial	0.04 (Acre)	0.0161878
41	256	Private	Agriculture	0.052 (Acre)	0.0210441
42	91	Private	Agriculture	0.09 (Acre)	0.0364225
43	93/1175	Private	Non Agriculture	0.01 (Acre)	0.0040469
44	93/2249	Private	Non Agriculture	0.07 (Acre)	0.0283286
45	93/2250	Private	Agriculture	0.073 (Acre)	0.0295427
46	93/2257	Private	Non Agriculture	0.151 (Acre)	0.0611089
47	94	Government	Non Agriculture	0.377 (Acre)	0.1525698
48	95	Private	Commercial	0.2 (Acre)	0.0809389
49	95/1140	Private	Non Agriculture	0.04 (Acre)	0.0161878
50	95/1141	Private	Non Agriculture	0.04 (Acre)	0.0161878
51	95/1160	Private	Non Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
52	95/2793	Private	Agriculture	0.04 (Acre)	0.0161878
53	95/2794	Private	Agriculture	0.075 (Acre)	0.0303521
Total					1.9838127

[F. No. RW/NH-12014/Odisha (2)LA/14-S&R(B)pt-III/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director